



उत्तराखण्ड शासन

समाज कल्याण अनुभाग-03

संख्या- 51 /XVII-A-3 /2024-22(01) / 2024

देहरादून: दिनांक 06 जुलाई, 2024

N Divya,

Old NO.131 New No.271,1st Floor,

Linghi Chetty Street ,George Town,

Chennai-600001

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक अपने अनुरोध पत्र दिनांक 20.08.2024 जो लोक सूचना अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल के पत्र दिनांक 28.08.24 के माध्यम से दिनांक 02.09.2024 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त हुआ, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2— आपके अनुरोध पत्र में अंकित बिन्दुओं की सूचना 37 पृष्ठों में संलग्न कर आपके सूचना के अधिकार आवेदन पत्र में उल्लिखित ई0 मेल0 आई0 डी0 contact@cymc.in पर प्रेषित की जा रही है।

3— उक्त सूचना से संतुष्ट न होने की दशा में आप कृपया विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत है:-

श्री महावीर सिंह,

संयुक्त सचिव/विभागीय अपीलीय अधिकारी,

समाज कल्याण विभाग,

प्रथम तल एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर,

उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

संलग्न-यथोक्त।

(बिरेन्द्र प्रसाद)

अनु सचिव/लोक सूचना अधिकारी।

संख्या- 51 (1) /XVII-A-3 /2024-22(01) /2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि-लोक सूचना अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय समाज कल्याण, हल्द्वानी नैनीताल को उनके पत्र दिनांक 28.08.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(बिरेन्द्र प्रसाद)

अनु सचिव/लोक सूचना अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के क्रियान्वयन की वार्षिक

रिपोर्ट :-

- 1- उत्तराखण्ड राज्य में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 की धारा 15 (1,2,3,) के अन्तर्गत नागरिकों के सिविल अधिकारों की पर्याप्त व्यवस्था की है, बड़े शहरों एवं कस्बों में जहाँ पर्याप्त नागरिक सुविधाएँ हैं तथा जहाँ शिक्षा का प्रतिशत अच्छा है वहाँ अस्पृश्यता की समस्या विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः दृष्टिगोचर नहीं होती है। जब कोई घटनाएँ होती हैं तदोपरान्त नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम एवं अत्याचार के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाती है। उक्त सन्दर्भ में अन्य बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है।
- 2- **विधिक सहायता (Legal Aid Scheme) :-** अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त मामलों की पैरवी करने हेतु जनपद बागेश्वर में विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति है जिसे जनपद में अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामलों की पैरवी करने पर न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय दिये जाने के पश्चात् रु0 5000/- प्रति वाद की दर से भुगतान किया जाता है। अन्य जनपदों में जिला शासकीय अधिवक्ता/अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियोजन अधिकारी के द्वारा एकट के अन्तर्गत प्राप्त मामलों से संबंधित मुकदमों की निःशुल्क पैरवी की जाती है।
- 3- **अधिकारियों की नियुक्ति (Officers Appointed) :-** नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अपराधों की रोकथाम हेतु समस्त जनपदों में विशेष जाँच प्रकोष्ठ का गठन पुलिस विभाग द्वारा किया है एवं सम्बन्धित अभियोगों की नियमित रूप से समीक्षा किये जाने हेतु जनपदों को निर्देश दिये गये हैं। एकट के अन्तर्गत कोई प्रकरण संज्ञान में आने पर प्रकरण को तत्काल पंजीकृत किये जाने का प्राविधान रखा गया है। जिनकी विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा सम्पादित की जानी है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित अभियोगों के पंजीकरण में लापरवाही बरते जाने की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने का हेतु निर्देश दिये गये हैं तथा पीड़ितों को समुचित सहयोग/सुरक्षा प्रदान किया जाता है। राज्य के सभी जिलों में उत्पीड़न के मामलों की समीक्षा हेतु अधिकारियों की तैनाती की गई है।
- 4- **विशेष न्यायालयों की स्थापना (Special Courts Set Up) :-** उत्तराखण्ड राज्य के 13 जनपदों में अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त मामलों के निस्तारण हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना की गयी है।
- 5- **समितियों का गठन (Committees Set Up) :-** राज्य स्तरीय सतर्कता और अनुश्रवण समिति के अन्तर्गत राज्य स्तर पर मा0 मुख्य मंत्री अध्यक्ष एवं गृह मंत्री, वित्त मंत्री और समाज कल्याण मंत्री सदस्य तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित सांसद, राज्य विधान सभा के सभी चुने गए सदस्यों को सदस्य नामित किया गया है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी, अध्यक्ष वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी आदि सदस्यों की जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है।





- 6— सर्वेक्षण (Periodic survey) :- उत्तराखण्ड राज्य में नागरिक अधिकार संरक्षण/आधेनियम 1955 के अन्तर्गत कोई भी मामले प्रकाश में नहीं होने के कारण कैलेंडर वर्ष 2023 में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।
- 7— उत्पीड़न ग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाना (Identification of Untouchability prone areas) :- राज्य का कोई भी जनपद या क्षेत्र अत्याचार उत्पीड़न से विशेष रूप से प्रभावित नहीं हैं।
- 8— (1) प्रचार प्रसार (Sensitization and Publicity/ Awareness Programmers) :- अधिनियम के अन्तर्गत कैलेंडर वर्ष 2023 में कोई प्रकाशन एवं अन्य कार्यक्रम नहीं किये गये हैं।
- (2) पुलिस विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपराध के रोकथाम हेतु अधिनियम की जानकारी प्रदान की जाती है, अलग से कोई ट्रेनिंग कार्यक्रम संचालित नहीं है।
- 9— अन्तर्जातीय विवाह (Inter-caste marriages) :- कैलेंडर वर्ष 2023 में राज्य के 60 दम्पतियों को ₹0 50,000/- प्रति दम्पति की दर से कुल ₹0 30,00,000/- मात्र की धनराशि अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों हेतु व्यय की गयी है। उक्त योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें अन्तर्जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों को धनराशि का व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
- 10— अन्य कार्यवाही (Any Other relevant Information) :- शासन द्वारा सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि अधिनियम के अन्तर्गत समारोहों, गोष्ठियों, ग्राम सभाओं एवं बैठकों के अवसर पर सामाजिक सौहार्द बढ़ाने जाति भेद एवं वर्गभेद मिटाने का प्रयास किया जाये, तथा इन अधिनियमों का प्रचार-प्रसार क्षेत्रों में किया जाय।

कलेंडर वर्ष 2023 में समाज कल्याण विभाग द्वारा भी जनप्रतिनिधियों एवं उच्च अधिकारियों को आमंत्रित करते हुए जनपद, विकास खण्ड स्तर पर आर्थिक सहायता वितरण हेतु समय-समय पर आयोजित बहुद्देश्यीय शिविरों में भी जनसामान्य को अधिनियमों के संबंध में जानकारी देते हुए सामाजिक सौहार्द बढ़ाने व वर्गभेद मिटाने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाता है। प्रचार-प्रसार में आने वाले व्यय राज्य सरकार के द्वारा शिविरों के आयोजन हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति मद से किया जाता है।

Bhal

Annexure-I

LEGAL AID AND OTHER FACILITIES PROVIDED TO PERSONS SUBJECTED TO ANY DISABILITY ARISING OUT OF UNTOUCHABILITY TO ENABLE THEM TO AVAIL THEMSELVES OF THEIR LEGAL RIGHTS

(Ref: Section 15A{(2)(i)} of the Act)

State /UT: **Uttarakhand.**

Total Number of Districts: -13

Sr. No.	Name of District	Number of persons provided legal aid and other facilities		
		Male	Female	Total
1.	Pauri Garhwal	0	0	0
2.	Tehri Garhwal	0	0	0
3.	Chamoli	0	0	0
4.	Rudraprayag	0	0	0
5.	Uttarkashi	0	0	0
6.	Dehradun	0	0	0
7.	Haridwar	0	0	0
8.	Nainital	0	0	0
9.	Almora	0	0	0
10.	Pithoragarh	0	0	0
11.	Bageshwar	0	0	0
12.	Champawat	0	0	0
13.	US Nagar	0	0	0
	Total:	0	0	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Annexure-II

OFFICERS APPOINTED FOR INITIATING OR EXERCISING SUPERVISION OVER PROSECUTIONS FOR THE CONTRAVENTION OF THE PROVISIONS OF THE ACT

(Ref: Section 15A(2)(ii) of the Act)

State/UT: At State level - Director social welfare Uttarakhand

(i) Designation - Director,

(ii) Number- 01

Total Number of Districts: 13.

Sr. No.	District	Districts Level	
		Officer	
		Designation	Number
1.	Pauri Garhwal	District Social welfare officers	-
2.	Tehri Garhwal	District Social welfare officers	-
3.	Chamoli	District Social welfare officers	-
4.	Rudraprayag	District Social welfare officers	-
5.	Uttarkashi	District Social welfare officers	-
6.	Dehradun	District Social welfare officers	-
7.	Haridwar	District Social welfare officers	-
8.	Nainital	District Social welfare officers	-
9.	Almora	District Social welfare officers	-
10.	Pithoragarh	District Social welfare officers	-
11.	Bageshwar	District Social welfare officers	-
12.	Champawat	District Social welfare officers	-
13.	US Nagar	District Social welfare officers	-
	Total	13	-




SPECIAL COURTS SET UP FOR TRIAL OF OFFENCES UNDER THE ACT

(Ref: Section 15A(2)(iii) of the Act)

State/UT: Uttarakhand.

Total Number of Districts: -13.

Sr. No.	District	
	Special Court Set up	Special Courts not set up
13	13	0
	Total: 13	Total: 0



COMMITTEES SET UP AT APPROPRIATE LEVELS TO ASSIST THE STATE GOVERNMENT IN FORMULATING OR IMPLEMENTING MEASURES NECESSARY FOR IMPLEMENTING THE ACT

(Ref: Section 15A(2)(iv) of the Act)

State/UT: Uttarakhand.

Year: 2023

A. State Level Committee:-

(a) Whether constituted : yes

(b) Number of meetings held in a calendar year 2023: 0

B. District Level Committees (DLC) -08

District Level Committee				
Sr. No.	District	Date of last constitution of the DLC	Number of meetings held during the year	Remarks
1.	Pauri Garhwal	02/02/2024	03	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के अन्तर्गत शिकायतों के निराकरण हेतु सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर हर सम्भव प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उत्थान हेतु सरकार द्वारा की जा रही कार्य योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाती है।
2.	Tehri Garhwal	17/03/2023 20/03/2023 13/09/2023	03	
3.	Chamoli	0	0	
4.	Rudraprayag	10/10/2023 13/10/2023	02	
5.	Uttarkashi	05/09/2023	01	
6.	Dehradun	0	0	
7.	Haridwar	23/12/2023	06	
8.	Nainital	28/04/2023	01	
9.	Almora	31/05/2023 15/12/2023	02	
10.	Pithoragarh	15/03/2024 16/03/2024 31/07/2023 05/09/2023	04	
11.	Bageshwar	24-01-2022 23-08-2022 29-11-2022	03	
12.	Champawat	22/05/2023 03/08/2023	02	
13.	US Nagar	25/03/2023	04	
Total:			31	

[Signature]

[Signature]

PERIODIC SURVEY CONDUCTED ON THE WORKING OF THE PROVISIONS OF THE ACT

(Ref: Section 15A(2)(v) of the Act)

State/UT: **Uttarakhand.**

Total Number of District: 13.

Sr. No.	Where periodic surveys were conducted	
	District	Number of surveys conducted
1	NIL	NIL
	Total: NIL	NIL

AC

Bhal

AREAS IDENTIFIED WHERE PERSONS ARE UNDER ANY DISABILITY ARISING OUT OF UNTOUCHABILITY AND MEASURES TAKEN FOR THE REMOVAL OF SUCH DISABILITY IN SUCH AREAS

(Ref: Section 15A(2)(vi) of the Act)

State/UT: **Uttarakhand.**

Total Number of Districts: -13.

Sr. No	Identified District	Specific areas within district, identified as untouchability - prone areas	Measures taken for the removal such disability in such areas
	NIL	NIL	NIL
	Total:	NIL	NIL

AB

Bhal

STEPS TAKEN BY STATE GOVERNMENT/UNION TERRITORY ADMINISTRATIONState/UT: **Uttarakhand.**

Number of Publicity/Awareness Programmer conducted	Number of officers sensitized, amongst:	
	Police	others
Nil	Nil	Nil



NO. OF INTER-CASTE MARRIAGES (WHERE ONE SPOUSE BELONGS TO A SCHEDULED CASTE AND THE OTHER IS NON-SC) FOR WHICH INCENTIVE AMOUNT PAID

State/UT: **Uttarakhand.**

Admissible Amount (in Rs.): - 50,000/-

Year of last revision:- 2023

Total Number of Districts:- 13.

Sr. No	Incentive paid	
	District	Number of Couples covered / Amount Released
1.	Pauri Garhwal	01 / 50,000 / -
2.	Tehri Garhwal	0 / 00
3.	Chamoli	01 / 50,000 / -
4.	Rudraprayag	0 / 00
5.	Uttarkashi	08 / 4,00,000 / -
6.	Dehradun	08 / 4,00,000 / -
7.	Haridwar	13 / 6,50,000 / -
8.	Nainital	19 / 10,50,000 / -
9.	Almora	01 / 50,000 / -
10.	Pithoragarh	03 / 1,50,000 / -
11.	Bageshwar	0 / 00
12.	Champawat	02 / 1,00,000 / -
13.	US Nagar	04 / 2,00,000 / -
	योग-	कुल योग-दम्पति-60 / रू0 30,00,000 / -

अर्न्तजातीय विवाह करने वाले दम्पतियों को रू0 50,000 / - प्रति दम्पति के दर से राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनान्तर्गत धनराशि व्यय की जाती है, जिसका सम्पूर्ण व्यय भार सरकार द्वारा वहन किया जाता है।




**अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार-निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत
कैलेंडर वर्ष 2023 की वार्षिक रिपोर्ट:-**

- 1-कैलेंडर वर्ष 2023 का विवरण:-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार-निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत कैलेंडर वर्ष 2023 में प्राप्त मामलों के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हैं तथा प्राप्त मामलों को पंजीकृत करते हुए मा0 न्यायालय को प्रस्तुत किये गये हैं।
- 2-विधिक सहायता:-अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार-निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत उत्पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी सहायता हेतु जनपद बागेश्वर में विशेष अभियोजक नियुक्ति है तथा उनको नियमानुसार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों पर न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय के पश्चात रुपये 5.000/- प्रति वाद के दर से भुगतान किया जाता है। अन्य 12 जनपदों में जिला शासकीय अधिवक्ताओं (फौजदारी) द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मामलों में विधिक सहायता प्रदान की जाती है।
- 3-अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों एवं गवाहों को यात्रा सुविधा:-पुलिस विभाग द्वारा उत्पीड़ित व्यक्ति तथा गवाहों को न्यायालय तक आने जाने के लिए सुविधा प्रदान की जाती है तथा जिन मामलों में यात्रा व्यय देय हो मामलों के अनुसार धनराशि प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है।
- 4-पुनर्वासन:-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार-निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत दर्ज मामलों में पीड़ित व्यक्ति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार-निवारण) संशोधित नियम-2016 में किये गये प्राविधानानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, यदि प्रकरण पुनर्वासन से सम्बन्धित हो तो जिलाधिकारी की अनुशंसा पर पुनर्वास की कार्यवाही की जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा सम्पादित की जाती है। विवेचना समाप्ति के उपरान्त वादी मुकदमा से अवगत कराते हुए आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट की प्रति पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।
- 5-अधिकारियों की नियुक्ति:-अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार उत्पीड़न सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु समस्त जनपदों में पुलिस विभाग में विशेष जॉच प्रकोष्ठ का गठन किया है। जिनके द्वारा एससी/एसटी से सम्बन्धित अभियोगों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। एससी/एसटी उत्पीड़न से सम्बन्धित अभियोगों को तत्काल पंजीकृत किया जाता है, जिनकी विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा सम्पादित की जाती है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा एससी/एसटी से सम्बन्धित अभियोगों के पंजीकरण में लापरवाही बरते जाने की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है तथा पीड़ितों को समुचित सहयोग/सुरक्षा प्रदान किया जाता है।
- 6-समितियों का गठन:-जिला स्तर पर जिलाधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, लोक अभियोजन अधिकारी आदि सदस्यों के साथ गोष्ठी आयोजित कर अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को समुचित सुरक्षा/सहयोग तथा मानकों के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है।
- 7-सर्वेक्षण:-उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार-निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत कैलेंडर वर्ष 2023 में कोई सर्वेक्षण नहीं हो पाया है।

 

- 8-उत्पीड़न ग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाना:-उत्तराखण्ड राज्य का कोई भी जनपद या क्षेत्र अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न से प्रभावित नहीं हैं जहां इस प्रकार की लगातार या अधिक घटनाएँ होती हैं।
- 9-विशेष न्यायालयों की स्थापना:-उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों में विशेष न्यायालय की स्थापना की गयी है, जिनमें उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई की जाती है।
- 10-विशेष थानों का गठन:-उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न से प्रभावित क्षेत्र नहीं है। इस कारण अलग से विशेष थानों का गठन नहीं किया गया है। जब कोई घटना होती है तो मामलों का निस्तारण नजदीकी थानों द्वारा किया जाता है।
- 11-गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारियों द्वारा किया गया अपराध :-उत्तराखण्ड राज्य में कैलेंडर वर्ष 2023 में इस प्रकार के कोई मामले प्रकाश में नहीं आये हैं। अतः सूचना शून्य है।
- 12-नोडल अधिकारियों की नियुक्ति:-अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम-2016 के नियम-9 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पीड़ितों और साक्षियों के अधिकारों के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी-नैनीताल को राज्य स्तर पर एवं समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
- 13-उत्पीड़न ग्रस्त क्षेत्रों में विशेष अधिकारियों की नियुक्ति:-राज्य में एससी/एसटी उत्पीड़न से ग्रस्त कोई क्षेत्र नहीं है जहां इस प्रकार की लगातार या अधिक घटनाएँ होती हैं। सूचना शून्य है।
- 14-माडल कैंटीनैन्सी प्लान:-राज्य के सभी जनपदों को शासन/मुख्यालय से समय-समय पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार-निवारण) अधिनियम 1989 के प्राविधानों के अनुपालन एवं अनुश्रवण किये जाने के निर्देश निर्गत किये जाते हैं।
- 15-प्रचार-प्रसार :-अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार-निवारण) अधिनियम के प्राविधानों के अनुपालन हेतु उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपद मुख्यालयों, विकास खण्डों पर शिबिरों का आयोजन किया जाता है, जिसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार-निवारण) अधिनियम 1989 की जानकारी एवं प्रचार-प्रसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

अ/स
स/स

Annexure-I

Legal aid and other facilities provided to persons subjected to atrocities to enable them to avail themselves of justice

(Ref: Section 21{(2)(i)} of the Act)

State /UT: Uttarkhand.

Total Number of Districts: -13

Sr. No.	District	Number of persons provided legal aid and other facilities								
		Male			Female			Total (Male+ Female)		
		SC	ST	Total	SC	ST	Total	SC	ST	Total
1.	Pauri Garhwal	03	0	03	03	0	03	06	0	06
2.	Tehri Garhwal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Chamoli	0	0	0	02	0	02	02	0	02
4.	Rudraprayag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Uttarkashi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dehradun	02	0	02	03	0	03	05	0	05
7.	Haridwar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Nainital	0	0	0	02	0	02	02	0	02
9.	Almora	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Pithoragarh	0	0	0	03	0	03	03	0	03
11.	Bageshwar	02	0	02	0	0	0	0	0	0
12.	Champawat	0	0	0	03	0	03	03	0	03
13.	US Nagar	06	04	10	04	0	04	10	04	14
	Total:	13	04	17	20	0	20	31	04	35

old

Annexure-II

Travelling and maintenance expenses paid to witnesses, including the victims of atrocities, during investigation and trial of offences under the act

(Ref: Section 21{(2)(ii)} of the Act)

State /UT: **Uttarakhand.**

Total Number of Districts: -13

Sr. No.	District	Number of persons provided traveling and other Maintenance expenses								
		Male			Female			Total (Male+ Female)		
		SC	ST	Total	SC	ST	Total	SC	ST	Total
1.	Pauri Garhwal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Tehri Garhwal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Chamoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Rudraprayag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Uttarkashi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dehradun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Haridwar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Nainital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Almora	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Pithoragarh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bageshwar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Champawat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	US Nagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0/0 72

Annexure-III

**REGISTRATION CASES AS PER PROVISIONS OF THE AMENDED PoA
ACT (Year-2023)**

State- Uttarakhand.

Section3 (as amended)	Gist of Provision	Number of cases registered
	Expanded, re-phased and new offences of atrocities under Section 3 of the Poa Act as amended	
1	हत्या	4
2	गम्भीरघोट	1
3	बलात्कार	10
4	आगजनी	0
5	अन्य भा0द0वि0	146
6	SC/ST Act	10
7	ना0अ0रां0	0
8	अहस्तक्षेपीय अपराध	0
		171

del JAL

Annexure-IV

SPECIFICATION OF APPROPRIATE SCHEME TO ENSURE IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS AND ENTITLEMENTS OF WITNESSES IN ACCESSING JUSTICE

(SECTION 15a(11) OF THE Act.)

State- Uttarakhand.

Chapter of the PoA Act as amended	Section	Sub-Section	Gist
IVA	15A	11	थानों पर शिकायतकर्ता की सूचना पर तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर सूचना दर्ज कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति निःशुल्क दी जाती है। प्रत्येक घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ितों को समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए तत्काल प्रदान की जाने वाली सहायता हेतु जिला प्रशासन/जिला समाज कल्याण विभाग को रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा सम्पादित की जाती है। विवेचना समाप्ति के परिणाम से वार्दी मुकदमा को अवगत कराते हुये आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

B/a

Jr

Annexure-V

Steps taken by way of economic and social rehabilitation of victims of atrocities: relief to atrocity victims

(Ref: Section 21((2)(iii)) of the Act read with Rule 12(4) of the POA Rules, 1995, as amended)

State /UT: Uttarakhand.

Total Number of Districts: -13

Calendar year 2023

No	District	Number of Atrocity victims provided relief								
		Male			Female			Total (Male+ Female)		
		SC	ST	Total	SC	ST	Total	SC	ST	Total
1.	Pauri Garhwal	3		3	8	-	8	11		11
2.	Tehri Garhwal	2		2	4	1	5	6	1	7
3.	Chamoli	1	-	1	2	-	2	3		3
4.	Rudraprayag	-	-	-	-	-	-			-
5.	Uttarkashi	3	-	3	4	-	4	7		7
6.	Dehradun	8	-	8	9	1	10	17	1	18
7.	Haridwar	21	1	22	13	1	14	34	2	36
8.	Nainital	5	-	5	3	-	3	8		8
9.	Almora	4	-	4	12	2	14	16	2	18
10.	Pithoragarh	8	1	9	3	-	3	11	1	12
11.	Bageshwar	3	-	3	2	-	2	5		5
12.	Champawat	3	-	3	2	-	2	5		5
13.	US Nagar	10	4	14	7	3	10	17	7	24
	Total:-	71	6	77	69	8	77	140	14	154

slaf JTC

Annexure-VI

INVESTIGATION AND FILLING OF THE CHARGE SHEET WITHIN SIXTY DAYS

State- Uttarakhand.

District	Rule	Gist of Provision	Action Taken	
			Number of cases of which investigation and filling of the charge sheet was done:-	
			Within sixty days	later then Sixty Days
Pauri	7(2)	Completion of investigation and filling of the charge sheet of PoRelated cases in the Special Court/Exclusive Special Court Within a period of sixty days	01	0
Garhwal				
Tehri			06	0
Chamoli			0	0
Rudraprayag			0	0
Uttarkashi			01	0
Dehradun			15	02
Haridwar			11	02
Nainital			02	04
Almora			04	01
Pithoragarh			01	01
Bageshwar			03	01
Champawat			03	0
US Nagar			15	03
योग-			62	14




Annexure-VII

RELIEF AND REHABILITATION OF VICTIMS OF ATROCITIES

((Ref. Section 21(2)(iii) of the Act read with Rule 12(4) and Rule 12(4A) of the PoA Rules, 1995 as amended)

State- Uttarakhand

Rule	Gist of Provision	Action Taken	
		Number of cases in which the relief amount was paid to concerned person (s) within:	
		within seven days	later then seven days
12(4)	Provisions of relief to the concerned within seven days as per minimum amount of relief specified in Annexure-I of the Schedule of the PoA Rules as amended		64
12(4)A	Authorizaation by the State Government/UT Administration to the District Magistrate for immediate withdrawal of money from the treasury so as to timely provide relife amount.	Nil	Nil

old *JS*

Annexure-VIII

Officers appointed for initiating or exercising supervision over prosecutions for contravention of the provisions of the Act: Setting up of SC/ST Protection Cell

(Ref: Section 21(2)(iv) of the Act read with Rule 8 of the POA Rules, 1995)

State /UT: Uttarakhand.

Composition of the Cell	Activity of the Cell	Number
अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु समस्त जनपदों में विशेष जाँच प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिनके द्वारा एससी/एसटी से सम्बन्धित अभियोगों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। एससी/एसटी उत्पीड़न से सम्बन्धित अभियोगों को तत्काल पंजीकृत किया जाता है, जिनकी विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों द्वारा सम्पादित की जाती है। अभियोगों के पंजीकरण में लापरवाही बरते जाने की शिकायतें प्रकाश में नहीं आई है। इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरुद्ध तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है। पीड़ितों को नियमानुसार सहायता राशि प्रदान किये जाने हेतु सम्बन्धित जिला समाज कल्याण विभाग एवं जिलाधिकारी को आख्या प्रेषित करते हुये पीड़ितों को समुचित सहयोग/सुरक्षा प्रदान किया जाता है।	Surveys of identified areas conducted	-
	Investigations done about the probable causes leading to an offence under the Act.	-
	Enquiries made about the investigation and spot inspection conducted by various officers	-
	Enquiries made about the wilful negligence by a public servant	-
	Reviews conducted to assess the position of cases registered under the Act.	171

6/4

18

Annexure-IX

Constitution, frequency of conduct of the meetings of state, district and sub divisional level vigilance & monitoring committees

(Ref: Section 21(2)(v) of POA Act read with Rule 16, 17 & 17A of POA Rules, 1995 as amended)

State /UT: Uttarakhand.

A. State Level Committee: Uttarakhand

(a) Whether constituted : Yes

(b) Number of meetings held in a calendar year : -

B. District Level Committees: yes

District Level Committees:-

District Level Committees				
Sr. No.	District	Date of last constitution of the DLVMC	Number of meetings held during the Year	Important Decisions taken in the meetings
1.	Pauri Garhwal	28-06-2023	03	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित शिकायतों के निराकरण हेतु सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर हर सम्भव प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उत्थान हेतु सरकार द्वारा की जा रही कार्य योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाती है।
2.	Tehri Garhwal	2020	4	
3.	Chamoli	-	12	
4.	Rudraprayag	25-09-2023	1	
5.	Uttarkashi	05-09-2023	1	
6.	Dehradun	2020	0	
7.	Haridwar	23-03-2021	6	
8.	Nainital	28-04-2023	1	
9.	Almora	31-05-2023 24-08-2023 15-12-2023	4	
10.	Pithoragarh	12-07-2023 25-08-2023	2	
11.	Bageshwar	20-12-2023	2	
12.	Champawat	22-05-2023	2	
13.	US Nagar	25-03-2023 12-08-2023 26-09-2023 15-12-2023	4	
Total:			42	

del B

c. Sub divisional level Committees;-

Sub divisional Level Committees				
Sr. No.	Sub divisional	Date of last constitution of the SDVMC	Number of meetings held during the Year	Important Decisions taken in the meetings
1	HDR		41	Recommendation for payment of financial assistance to victims

8/2/

Dec

Annexure-X

PERIODIC SURVEY CONDUCTED ON THE WORKING OF
THE PROVISIONS OF THE ACT.

(Ref: Section 21(2)(vi) of the Act)

State/UT: Uttarakhand.

Total Number of Districts: 13.

Sr.No	Where periodic surveys were conducted District	Number of surveys conducted
	13	Nil
	Total: 13	Nil

atd Ah

Annexure-XI

**AREAS IDENTIFIED WHERE MEMBERS OF SCs AND STs
ARE LIKELY TO BE SUBJECTED TO ATROCITIES AND
MEASURES ADOPTED TO ENSURE THIS SAFELY**

(Ref: Section 21(2)(vii) of the Act)

State/UT: Uttarakhand.

Total Number of Districts: .13.

Sr.No	Identified District	Specific areas within District, identified as atrocity prone areas	Measures taken for the removal of such disability in such areas
	NIL	NIL	राज्य का कोई भी जनपद या क्षेत्र अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न से प्रभावित नहीं है।
	Total:-	NIL	

skl *skl*

Annexure-XII

Special Courts & Exclusive Special Courts set up for speedy trial of cases under the Act

State/UT: Uttarakhand.

Total Number of Districts: 13

Sr. No	Name of the District where set up: 13			
		Special Courts	Exclusive Special Courts	
1	Uttarkashi	01	Nil	उत्तराखण्ड राज्य के शासनादेश संख्या-189/XVII-4/2017-24 3(स0क0)2002टी0सी0-1 दिनांक 17 अप्रैल 2017 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराधों के शीघ्र विचारण हेतु राज्य के प्रत्येक जनपद के जिला एवं सत्र न्यायालय को उसके विशेष क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।
2	Tehri	01		
3	Chamoli	01		
4	Rudraprayag	01		
5	Pauri Garhwal	01		
6	Dehradun	01		
7	Haridwar	01		
8	Almora	01		
9	Bageshwar	01		
10	Champawat	01		
11	Pithoragarh	01		
12	Nainital	01		
13	US Nagar	01		
				13

BK/

Annexure-XIII

SPECIFICATION OF SPECIAL PUBLIC PROSECUTORS AND EXCLUSIVE SPECIAL PUBLIC PROSECUTORS (ref: section 15 (1) and (2) of the PoA Act as amended)

State/UT: Uttarakhand.

Number of:		Number of:	
Special Courts in the State/UT	Special Public Prosecutors specified for conducting cases in the Special Courts	Exclusive Courts in the State/UT	Special Public Prosecutors Specified for conducting cases in Exclusive Special Prosecutors
1	Uttarkashi	01	-
2	Tehri	01	-
3	Chamoli	01	-
4	Rudraprayag	01	-
5	Pauri Garhwal	01	-
6	Dehradun	01	-
7	Haridwar	01	-
8	Almora	01	-
9	Bageshwar	01	-
10	Champawat	01	-
11	Pithoragarh	01	-
12	Nainital	01	-
13	US Nagar	01	-

[Handwritten signatures]

Annexure-XIV

SETTING UP SC/ST PROTECTION CELL (ref: rule of the PoA Rules as amended)

State/UT: Uttarakhand.

Whether the SC/ST Protection cell has been set up	Whether the SC/ST Cell is discharging all the responsibility specified in Rule 8 of the Poa Rule	Whether additional responsibility has been entrusted to SC/ST Protection Cell which is other than that specified under Rule 8
राज्य के सभी 13 जनपदों में एस0सी0/एस0टी0 संरक्षण कक्ष स्थापित है।	मुख्यालय स्तर पर अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ से सम्बन्धित कार्यों का पर्यवेक्षण अपर महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड द्वारा किया जाता है।	अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पीड़न से सम्बन्धित अपराधों की रोकथाम हेतु राज्य के प्रत्येक जनपद में विशेष जॉच प्रकोष्ठ की स्थापना कर नोडल अधिकारी नियुक्त हैं, जिनके कार्यों का पर्यवेक्षण सम्बन्धित जनपद प्रभारी द्वारा किया जाता है।

B/L

JK

Annexure-XV

**SPECIAL POLICE STATIONS SET UP TO INVESTIGATE OFFENCER
AGAINST MEMBERS OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED
TRIBES**

State/UT: Uttarakhand.

Total number of districts: 13

Total number of districts: 110			
Sr. No.	District where special police station has been set up		Name of Districts where special Police station has not been set up
	Name of the Distirct	Number of Special police Stations	
राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न से प्रभावित क्षेत्र नहीं है, जिस कारण अलग से कोई विशेष थाने का गठन नहीं किया गया है।			

अ/ JS

Annexure-XVI

NON-SC /ST OFFICERS PUNISHED FOR WILFUL NEGLECT OF
DUTIES

(Ref: Section 4 of Act as amended)

State/UT: Uttarakhand.

Number of officers punished for first offence under Section 4 of the POA Act as amended	Number of officers punished for second and subsequent offence under Section 5 of the POA ACT
NIL	NIL

B/K

AB

Annexure-XVII

Nodal officers nominated to co-ordinate functioning of the District Magistrates and Superintendent of Police and other officers, responsible for implementing provisions of the Act.

(Ref: Rule 9 of POA Rules, 1995 as amended)

State/UT: Uttarakhand.

(i) Whether quarterly progress report received from the SC/ST Protection Cells:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार-उत्पीड़न से सम्बन्धित अपराधों की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित की जाती है। जनपदों में घटित अपराधों की त्रैमासिक रिपोर्ट परिक्षेत्रों के माध्यम से मुख्यालय स्तर पर संकलित कर सूचना शासन/समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाती है।

(ii) Whether the review was undertaken of the reports mentioned above:

शून्य



Annexure-XVIII

Special officers appointed for identified areas to co-ordinate with the District magistrate, Superintendent Of Police or other officers responsible for implementing the provisions of the Act, various Committees and the scheduled castes and the scheduled tribes Protection Cell

(Ref: Rule 10 of the POA Rules, 1995 as amended)

State/UT: Uttarakhand.

Total Number of Districts: -13

Sr. No	Identified District	Whether Special officer appointed (Yes/No)	Designation of the special officers
	Nil	Nil	Nil
		Total Number:	

akl

Aj

Annexure-XIX

IMPLEMENTATION OF A PLAN PREPARED FOR EFFECTIVELY
IMPLEMENTING PROVISIONS OF THE ACT AND ITS NOTIFICATION IN
THE STATE GAZETTE,

(Ref: Rule 15 of the POA Rules, 1995)

State/UT: Uttarakhand.

1. Whether the plan has been formulated (yes/no)	उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या-1384 / XVII-4 / 2016-243(स.क.) / 2002-TC-1 दिनांक 27 दिसम्बर 2016 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार-निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 तथा अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार-निवारण) संशोधन नियम, 2016 को लागू किया गया है।
2. If yes, please describe its gist, and also attach its copy as required under rule 15(2) of the PoA Rules, as amended.	

skl JK

Annexure-XX

STEPS TAKEN BY STATE GOVERNMENT/UNION TERRITORY ADMINISTRATION

State/UT: Uttarakhand.

s.n.	District	Number of Publicity/ Awareness Programmes conducted	Number of officers sensitized, amongst:	
			Police	others
1	उत्तरकाशी	12	350	---
2	टिहरी गढ़वाल	12	480	20
3	चमोली	12	360	---
4	रूद्रप्रयाग	12	550	---
5	पौड़ी गढ़वाल	12	550	---
6	देहरादून	15	350	180
7	हरिद्वार	12	555	330
8	पिथौरागढ़	12	518	400
9	बागेश्वर	12	250	97
10	चम्पावत	118	50	1500
11	अल्मोड़ा	29	560	2700
12	नैनीताल	30	690	1800
13	उधमसिंहनगर	12	880	2500

del *JK*

Annexure-XXI

**APPEALS FILED IN SUPERIOR COURTS IN CASES
WHICH ENDED IN ACOUITTAL**

State/UT: Uttarakhand.

s.n.	District	Number of cases which ended in acquittal	Number of cases in which appeals filed in superior courts against acquittal
1	उत्तरकाशी	6	—
2	टिहरी गढ़वाल	2	—
3	चमोली	1	—
4	रूद्रप्रयाग	—	—
5	पौड़ी गढ़वाल	7	—
6	देहरादून	—	—
7	हरिद्वार	—	—
8	पिथौरागढ़	—	—
9	बागेश्वर	—	—
10	चम्पावत	1	1
11	अल्मोड़ा	—	—
12	नैनीताल	—	—
13	उधमसिंहनगर	10	2
	योग—	27	3

et al *et al*

Annexure-XXII

ACTION TAKEN TO RECOGNIZE/ REWARD PERSONS / ORGANIZATIONS WHO HAVE DONE EXEMPLARY WORK IN PREVENTION OF ATROCITIES AND REMOVAL OF UNTOUCHABILITY

Sr. No	Names of persons Awarded	Work Done	Names of organizations Awarded	Work Done
	NiL	NiL	NiL	NiL

at

ct2

Annexure-XXIII

Review of performance of Public Prosecutors

(Ref: Rule 4 (2 & 3) of the POA Rules as amended)

State /UT: Uttrakhand.

Names of Special Public Prosecutors and Exclusive Special Public Prosecutors changed for not pleading the PoA Act related cases effectively	
1.	NIL
2.	
3.	
4.	
5.	
Total Number -	NIL

del *the*